दिनांक–15.03.2018 को मध्याह्न 12:00 बजे मुख्य सचिव–सह–अध्यक्ष, शासी परिषद्, बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी की अध्यक्षता में आयोजित शासी परिषद् की कार्यवाही ।

उपस्थिति – पंजी के अनुसार

बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के प्रस्तावों पर शासी परिषद् द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिये गयेः–

कार्यावली बिन्दु–01 :– दिनांक–09.03.2017 को आयोजित शासी परिषद् की गत् बैठक की कार्यवाही (परिशिष्ट ''क'') पर शासी परिषद् की सम्पुष्टि प्रार्थित है।

निर्णय	स्वीकृत

कार्यावली बिन्दु–02 :–दिनांक–09.03.2017 को आयोजित शासी परिषद् की गत् बैठक की कार्यवाही के अनुपालन की स्थिति (परिशिष्ट ''ख'') पर शासी परिषद् की सम्पुष्टि प्रार्थित है।

निर्णय	स्वीकृत

कार्यावली बिन्दु–03 :– बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के वित्तीय वर्ष 2018–19 के बजट का अनुमोदन ।

बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के स्तर से सम्पादित/क्रियान्वित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों (प्रस्तावित मानव संसाधन प्रबंधन तंत्र – HRMS परियोजना सहित) के दृष्टिगत वर्ष 2018–19 के लिए **₹154,17,02,660.00** (एक सौ चौवन करोड़ सत्रह लाख दो हजार छः सौ साठ) का विषय शीर्षवार एवं मदवार बजट तैयार किया गया है । इस बजट प्राक्कलन को शासी परिषद् की अनुमोदन की प्रत्याशा में मिशन कार्यालय के पत्रांक–1386, दिनांक 06.11.2017 द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग को भेजा गया है ।

विषय शीर्षवार बजट प्राक्कलन, प्राप्तियाँ, व्यय एवं अवशेष राशि का अद्यतन प्रतिवेदन निम्नवत है :–

वित्तीय वर्ष	विषय शीर्ष	बजट प्राक्कलन	प्राप्त सहायक अनुदान	व्यय	अवशेष राशि
2016–17	3104– वेतनादि	664772710.00	664772710.00	650350169.00	1,44,22,541.00
	3106–वेतनादि के अलावा	733717200.00	733717200.00	214836170.00	51,88,81,030.00
	कुल	1398489910.00	1398489910.00	865186339.00	53,33,03,571.00
2017–18	3104– वेतनादि	697929960.00	400000000.00	211716029.00	18,82,83,971.00
	3106–वेतनादि के अलावा	734717000.00	185251000.00	0.00	18,52,51,000.00
	कुल	1432646960.00	585251000.00	211716029.00	37,35,34,971.00
2018–19	3104– वेतनादि	686733960.00	–	–	–
	3106–वेतनादि के अलावा	854968700.00	–	–	–
	कुल	154,17,02660.00	–	–	–

*वित्तीय वर्ष 2018–19 के बजट प्राक्कलन की पदवार एवं मदवार विवरणी परिशिष्ट–'ग' के रूप में संलग्न है ।

वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए बि0प्र0सु0मि0सो0 के ₹154,17,02,660.00 (एक सौ चौवन करोड़ सत्रह लाख दो हजार छः सौ साठ) के बजट प्राक्कलन पर शासी परिषद् का अनुमोदन प्रार्थित है।

निर्णय	स्वीकृत

<u>कार्यावली बिन्दु–04 :–</u> बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी को वित्तीय वर्ष 2016–17 के प्राप्त सहायक अनुदान की अवशेष राशि तथा वित्तीय वर्ष 2017–18 में प्राप्त सहायक अनुदान की राशि से वित्तीय वर्ष 2018–19 में व्यय का अनुमोदन ।

बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी तथा इस सोसाइटी से राशि प्राप्त करने वाले RSUs का संचालन प्रति वर्ष सामान्य प्रशासन विभाग से प्राप्त होने वाले सहायक अनुदान से होता है । वित्तीय वर्ष 2016–17 हेतु वेतनादि मद में ₹ 66,47,72,710.00 तथा वेतनादि के अलावा मद में ₹ 73,37,17,200.00 अर्थात कुल **₹ 139,84,89,910.00** सहायक अनुदान के रूप में प्राप्त हुआ जिससे बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के स्तर पर व्यय किया जा रहा है तथा RSUs को व्यय हेतु आवंटित भी किया गया है। अद्यतन प्रतिवेदन के अनुसार वित्तीय वर्ष 2016–17 के सहायक अनुदान का कुल **₹ 53,33,03,571.00** अवशेष है । विस्तृत विवरण कार्यावली बिन्दु–3 की तालिका में द्रष्टव्य है।

वित्तीय वर्ष समाप्ति के पश्चात भी सहायक अनुदान की राशि का प्रत्यर्पण नहीं होने के आधार पर वित्तीय वर्ष 2016–17 की अवशेष राशि एवं मिशन को वित्तीय वर्ष 2017–18 के सहायक अनुदान की प्राप्त राशि को आगामी वित्तीय वर्ष 2018–19 में व्यय किये जाने के बिन्दु पर शासी परिषद् का अनुमोदन प्रार्थित है ।

निर्णय	स्वीकृत

कार्यावली बिन्दु–05 :– जिला एवं अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के कार्यालय की स्थापना एवं अन्य आवश्यक प्रबंध के लिए जिलों को तथा प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय में बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन से संबंधित व्यवस्था हेतु प्रमंडलों को उपलब्ध करायी गयी कुल राशि ₹7,55,95,831.00 (सात करोड़ पचपन लाख पंचानबे हजार आठ सौ एकतीस) का घटनोत्तर अनुमोदन।

बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन के दृष्टिगत जिला एवं अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी का कार्यालय स्थापित करने, काउंटर निर्माण, पदाधिकारी–कर्मियों के लिए उपस्करादि एवं परिवादियों की बैठने की व्यवस्था इत्यादि मद में प्रति कार्यालय ₹5,00,000.00 (पॉच लाख) की दर से सभी जिलों को कुल **₹ 6,95,00,000.00** (छः करोड़ पंचानबे लाख) उपलब्ध करायी गयी है । इस राशि के अलावा कुछ अन्य जिलों यथा, पटना, सहरसा, सिवान एवं कैमूर को अतिरिक्त अधियाचित राशि भी आवंटित की गयी है जो कुल **₹ 33,95,831.00** (तैतीस लाख पंचानबे हजार आठ सौ एकतीस) है ।

इसी प्रकार बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन से संबंधित व्यवस्था हेतु सभी प्रमंडलों को प्रति कार्यालय **₹ 3,00,000.00** (तीन लाख) की दर से कुल **₹ 27,00,000.00** (सताईस लाख) उपलब्ध करायी गयी है ।

अतः बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी को प्राप्त विषय शीर्ष '3106–वेतनादि के अलावा' मद के सहायक अनुदान से उपरोक्त वर्णित व्यय हेतु जिलों एवं प्रमंडलों को कुल **₹ 7,55,95,831.00 (सात करोड़ पचपन लाख पंचानबे हजार आठ सौ एकतीस)** आवंटित किये जाने के बिन्दु पर शासी परिषद् का घटनोत्तर अनुमोदन प्रार्थित है।

निर्णय	स्वीकृत

कार्यावली बिन्दु–06 :– बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी द्वारा आई०टी० प्रबंधकों के संविदात्मक पद पर किये गये नियोजन पर शासी परिषद् का घटनोत्तर अनुमोदन।

बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी की संचिका संख्या–बि०प्र०सु०मि०सो० /विविध–14/2009 (खण्ड–4) में बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी, बिहार, पटना के अधीन संचालित सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित विभिन्न परियोजनाओं/योजनाओं के क्रियान्वयन एवं पर्यवेक्षण में सहायता के उद्देश्य से मुख्य सचिव, बिहार–सह–अध्यक्ष, शासी परिषद् का अनुमोदन प्राप्त कर आई०टी० प्रबंधक के रिक्त संविदात्मक पद पर 150 (एक सौ पचास) अभ्यर्थियों का पैनल तैयार किया गया। इस पैनल में से 13 (तेरह) अभ्यर्थियों का नियोजन मिशन सोसाइटी के आई०टी० प्रबंधक के रिक्त पदों के विरूद्ध किया गया है।

बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के लिये आई०टी० प्रबंधक के उपर्युक्त वर्णित नियोजन की कारवाई पर शासी परिषद् का घटनोत्तर अनुमोदन प्रार्थित है।

निर्णय	स्वीकृत

कार्यावली बिन्दु–07 :– बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी द्वारा आई.टी. प्रबंधक के नियोजन हेतु तैयार किये गये पैनल से बिहार स्टेट फूड एण्ड सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन, लि०, पटना को उपलब्ध कराये गये एक आई.टी. प्रबंधक का घटनोत्तर अनुमोदन एवं भविष्य में अन्य कार्यालय, जिनके लिये आई.टी.प्रबंधक का पद बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के अंतर्गत सृजित नहीं है, को भी उनसे अधियाचना प्राप्त होने पर आई.टी. प्रबंधक उपलब्ध कराये जाने संबंधी प्रस्ताव पर शासी परिषद् का अनुमोदन।

बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी की संचिका संख्या– बि.प्र.सु.मि.सो. /विविध–14/2009 (खण्ड–4) में मिशन द्वारा आई.टी. प्रबंधक के संविदात्मक पद पर नियोजन हेतु तैयार किये गये पैनल से शासी परिषद् के अनुमोदन की प्रत्याशा में मुख्य सचिव–सह–अध्यक्ष शासी परिषद् का अनुमोदन प्राप्त कर बिहार स्टेट फूड एण्ड सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन, लि०, पटना को आई.टी. प्रबंधक इस शर्त के साथ उपलब्ध कराया गया था कि प्रासंगिक मामलें में नियोजन प्राधिकार बिहार स्टेट फूड एण्ड सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन, लि०, पटना होगा एवं उन्हीं के द्वारा आदर्श आरक्षण रोस्टर का संधारण, एकरारनामा, सेवा अवधि विस्तार इत्यादि कार्य भी किया जाएगा। यह भी शर्त रखी गई है कि इस आई.टी. प्रबंधक को देय मानदेय एवं अन्य सेवा शर्त्तें भी वहीं होंगी जो बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी में नियोजित आई.टी. प्रबंधकों को समय–समय पर मिशन द्वारा निर्धारित की जाएँगी।

बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी द्वारा तैयार किये गये आई.टी. प्रबंधक के पैनल से उपर्युक्त वर्णित शर्तों के साथ बिहार स्टेट फूड एण्ड सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन, लि., पटना को आई.टी. प्रबंधक की सेवा उपलब्ध कराये जाने के बिंदु पर शासी परिषद् का घटनोत्तर अनुमोदन प्रार्थित है।

बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के लिये सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक–17375, दिनांक–17.12.2014 द्वारा मिशन मुख्यालय के लिये 02 (दो) एवं सभी जिलों, बिहार भवन एवं अन्य विभागों को जोड़कर आई.टी. प्रबंधकों के लिये 80 (अस्सी) पद सृजित किये गये थे। सामान्य प्रशासन विभाग के ही ज्ञापांक–5354, दिनांक–12.04.2016 द्वारा बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन के लिये मिशन मुख्यालय स्तर पर पुनः आई.टी. प्रबंधकों के 02 (दो) पद सृजित किये गये थे। इन सृजित पदों में कई विभागों एवं महत्वपूर्ण कार्यालयों के लिये आई.टी.प्रबंधक का कोई पद सृजित नहीं है। ऐसे विभागों/कार्यालयों के लिये आई.टी.प्रबंधकों के कुल 31 (एकतीस) पद सृजन का प्रस्ताव सामान्य प्रशासन विभाग में प्रक्रियाधीन है।

मिशन द्वारा सरकार से संबद्ध निगमों/बोर्ड के लिये आई.टी. प्रबंधक का पद सृजित नहीं है एवं न ही इनके पद सृजन का प्रस्ताव विचाराधीन है। बिहार स्टेट फूड एण्ड सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन, लि०, के सदृश ही **अन्य ऐसे कार्यालयों से आई.टी. प्रबंधक की अधियाचना प्राप्त होने पर बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी द्वारा तैयार किये गये पैनल से आई.टी. प्रबंधक की सेवा संबंधित कार्यालयों द्वारा नियोजन की**

कार्रवाई, आदर्श आरक्षण रोस्टर का संधारण, एकरारनामा, सेवा अवधि विस्तार इत्यादि कार्य एवं मिशन द्वारा आई.टी. प्रबंधक को देय मानदेय एवं अन्य सेवा शर्तों के अनुरूप ही सेवा शर्त रखे जाने के शर्त पर उपलब्ध कराये जाने पर निर्णय हेतु मिशन निदेशक को प्राधिकृत किये जाने के बिंदु पर भी शासी परिषद् का अनुमोदन प्रार्थित है।

निर्णय	इस शर्त के साथ स्वीकृत कि सूचना प्रावैधिकी विभाग द्वारा सूचना प्रावैधिकी से संबंधित मानव बल ढ़ाँचा तैयार कर लेने के पश्चात मिशन के द्वारा अन्य विभागों / कार्यालयों को सूचना प्रावैधिकी से संबंधित मानव बल उपलब्ध कराये जाने पर पुनर्विचार किया जायेगा।

कार्यावली बिन्दु–08 :– बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के अंतर्गत संविदा पर नियोजित आई.टी. प्रबंधकों, आई.टी. सहायकों एवं कार्यपालक सहायकों के मानदेय में वृद्धि का अनुमोदन।

बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के अंतर्गत संविदा पर नियोजित कार्यपालक सहायकों के मानदेय में वृद्धि के प्रस्ताव पर शासी परिषद् द्वारा दिनांक–11.03.2015 की बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि इनका मानदेय बेल्ट्रॉन के द्वारा डाटा इंट्री ऑपरेटरों के मानदेय के अनुरूप निर्धारित किया जाये। बेल्ट्रॉन के डाटा इंट्री ऑपरेटरों को वर्ष 2015 में ₹10,072.00 मानदेय के रूप में प्राप्त हो रहा था। कार्यपालक सहायकों द्वारा नियोजन के समय कम्प्यूटर, प्रिंटर, यू.पी.एस. एवं डाटा कार्ड लाये जाने के आलोक में उनके द्वारा डाटा इंट्री ऑपरेटर से अधिक मानदेय दिये जाने के मांग के आलोक में वित्त विभाग का अनुमोदन प्राप्त कर उन्हे अतिरिक्त देयता निर्धारित करते हुए उनके मानदेय को ₹11,345.00 निर्धारित किया गया था। **कार्यपालक सहायकों द्वारा कम्प्यूटर सिस्टम लाये जाने के एवज में उन्हे अतिरिक्त ₹2500.00 की देयता निर्धारित करने के बिंदु पर शासी परिषद् का अनुमोदन प्रार्थित है।**

कालांतर में बेल्ट्रॉन के द्वारा उनके सभी ग्रेड के डाटा इंट्री ऑपरेटरों के मानदेय में पुनः वृद्धि की गयी है। बेल्ट्रॉन के डाटा इंट्री ऑपरेटरों को वर्तमान में दिये जा रहे **Take Home Salary** की राशि में कार्यपालक सहायकों द्वारा कम्प्यूटर सिस्टम लाये जाने के एवज में अतिरिक्त ₹2500.00 की राशि जोड़ते हुए बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के कार्यपालक सहायकों का मानदेय निम्नवत निर्धारित किया जाना प्रस्तावित है:–

कार्यपालक सहायक

बेल्ट्रॉन के डाटा इंट्री ऑपरेटर	बेल्ट्रॉन के पत्रांक–11857, दिनांक–13.07. 2017 द्वारा निर्धारित **Take Home Salary**	बेल्ट्रॉन द्वारा उनके डाटा इन्ट्री ऑपरेटर को देय मानदेय मे प्रतिशत वृद्धि	बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के कार्यपालक सहायक	सेवा अवधि	वर्तमान मानदेय	प्रस्तावित मानदेय (बेल्ट्रॉन के डाटा इंट्री ऑपरेटर का मानदेय. कम्प्यूटर सेट हेतु प्रस्तावित राशि ₹2500.00 के कुल योग को अगले शतक तक **Round off** करने के पश्चात की राशि)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*

प्रथम पदस्थापन (Basic Grade)	11078	..	Executive Assistant	From Date of Joining	11345	13600
ग्रेड–II तीन वर्ष का न्यूनतम कार्यानुभव एवं निर्धारित परीक्षा में उत्तीर्णता	15504	39.95%	Executive Assistant Grade-II	After 3 complete years of successful service	11345	18100
ग्रेड–I दस वर्ष का न्यूनतम कार्यानुभव एवं निर्धारित परीक्षा में उत्तीर्णता	20363	पिछले वृद्धि के पश्चात 31.34%	Executive Assistant Grade-I	After 10 complete years of successful service	11345	22900

शासी परिषद् की बैठक दिनांक–27.07.2016 में इस आशय का अनुमोदन प्राप्त हुआ था कि मिशन के कार्यपालक सहायक जिनका कार्यानुभव तीन वर्ष या उससे अधिक हो चुका है को बेल्ट्रॉन के डाटा इंट्री ऑपरेटर के वरीय ग्रेड का मानदेय देने के लिये बेल्ट्रॉन के माध्यम से परीक्षा आयोजित कर बेल्ट्रॉन के दर पर वरीय ग्रेड का मानदेय दिया जाये। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि मिशन के द्वारा संविदा पर नियोजित कार्यपालक सहायकों के नियोजन की प्रक्रिया बेल्ट्रॉन के द्वारा बाह्य सेवा प्रदाता से प्राप्त डाटा इंट्री ऑपरेटरों से पृथक है। मिशन के कार्यपालक सहायकों का नियोजन जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित कमिटी द्वारा होता है एवं प्रतिवर्ष इनका सेवा अवधि विस्तार नियोजन प्राधिकार द्वारा इनकी सेवा संतोषजनक पाये जाने के उपरांत ही किया जाता है।

बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी में संविदा पर नियोजित आई.टी.प्रबंधकों एवं आई.टी.सहायकों के मानदेय में वृद्धि के प्रस्ताव पर शासी परिषद् की बैठक दिनांक–09.03.2015 में यह निर्णय लिया गया था कि भविष्य में इनके मानदेय में वृद्धि के लिये एक तर्कसंगत वैज्ञानिक फॉर्मूला बना लिया जाये। बेल्ट्रॉन के द्वारा उनके डाटा इंट्री ऑपरेटरों के मानदेय हेतु निर्धारित फॉर्मूला, यथा– निश्चित सेवा अवधि के सफल संचालन के अनुरूप ग्रेड वार मानदेय निर्धारण के फॉर्मूला को बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी द्वारा आई.टी.प्रबंधकों एवं आई.टी.सहायकों के लिये अपनाये जाने का प्रस्ताव है। यह प्रस्ताव है कि मिशन के आई.टी.प्रबंधकों एवं आई.टी.सहायकों के मानदेय को बेल्ट्रॉन के द्वारा उनके डाटा इंट्री ऑपरेटरों के मानदेय हेतु निर्धारित सफल सेवा अवधि एवं निर्धारित मानदेय वृद्धि प्रतिशत के बराबर ही ग्रेडवार बढ़ाया जाये, जिसकी विस्तृत विवरणी निम्न सारणी के अनुसार है:–

<u>आई.टी.सहायक</u>

पदनाम	सफल सेवा अवधि	वर्तमान मानदेय	प्रस्तावित मानदेय	प्रतिशत वृद्धि
1	*2*	*3*	4	5
I.T. Assistant	From Date of Joining	17,000	17,000	0%
I.T. Assistant Grade-II	After 3 complete years of successful service	17,000	23,800	40%* (प्रारम्भिक मानदेय से कुल वृद्धि)
I.T. Assistant Grade-I	After 10 complete years of successful service	17,000	31,300	पिछले वृद्धि के पश्चात 31.5%*

*बेल्ट्रॉन के डाटा इंट्री ऑपरेटर के मानदेय में हुए वृद्धि के प्रतिशत के बराबर वृद्धि प्रतिशत

आई.टी.प्रबंधक

पदनाम	सफल सेवा अवधि	वर्तमान मानदेय	प्रस्तावित मानदेय	प्रतिशत वृद्धि
1	*2*	*3*	*4*	5
I.T. Manager	From Date of Joining	40,000	40,000	0%
I.T. Manager Grade-II	After 3 complete years of successful service	40,000	56,000	40%*
I.T. Manager Grade-I	After 10 complete years of successful service	40,000	73,600	पिछले वृद्धि के पश्चात 31.42%*

*बेल्ट्रॉन के डाटा इंट्री ऑपरेटर के मानदेय में हुए वृद्धि के प्रतिशत के बराबर वृद्धि प्रतिशत

बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के अंतर्गत संविदा पर नियोजित आई.टी. प्रबंधकों, आई.टी. सहायकों एवं कार्यपालक सहायकों के मानदेय में उपर्युक्त सारणी के अनुसार वृद्धि के बिंदु पर शासी परिषद् का अनुमोदन प्रार्थित है।

निर्णय	स्थगित.

<u>कार्यावली बिन्दु–09</u> :– बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के अंतर्गत संविदा/बाह्य सेवा प्रदाता से प्राप्त नियोजित अन्य कर्मियों के मानदेय में वृद्धि पर अनुमोदन ।

सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या–17375, दिनांक–17.12.2014 द्वारा बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के प्रयोजनार्थ पूर्व से स्वीकृत पदों के अतिरिक्त 2811 पद सृजित किये गये थे। इनमें से कई संविदा पर नियोजन हेतु सृजित पद एवं बाह्य सेवा प्रदाता से प्राप्त किये जाने हेतु सृजित पदो के मानदेय में वर्ष 2014 में पद सृजन के पश्चात अब तक कोई वृद्धि नहीं हुई है। कुछ मामलों में वर्ष 2014 में निर्धारित मानदेय वर्तमान में व्याप्त न्यूनतम मजूदरी के अधिसूचित दरों से भी कम है, जो बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी द्वारा वैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन है।

उक्त स्थिति में बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के अंतर्गत संविदा पर नियोजित कर्मियों के मानदेय में अर्द्धकुशल कर्मियों के लिये निर्धारित न्यूनतम मजदूरी (श्रम संसाधन विभाग के द्वारा अनुसूची 1ब के अर्धकुशल श्रमिकों के लिये निर्धारित न्यूनतम मानदेय) के अनुरूप वृद्धि किये जाने का निम्न सारणी में उपस्थापित प्रस्ताव पर शासी परिषद् का अनुमोदन प्रार्थित है:–

क्र.सं.	पद का नाम	वर्ष 2014 में निर्धारित मानदेय	पदों की संख्या	निर्धारित न्यूनतम दैनिक मानदेय	प्रस्तावित मासिक मानदेय	वृद्धि प्रतिशत

1	फैक्स / फोटो कॉपियर संचालक (वाहय स्त्रोत से)	₹6000	01	अधिसूचना संख्या–4835, दिनांक–15.09.2017 द्वारा दिनांक–01.10.2017 के प्रभाव से अर्द्धकुशल कामगारों के लिये निर्धारित न्यूनतम दैनिक मानदेय 257X30= 7710	₹8000	33.33 प्रतिशत
2	टेलीफोन ऑपरेटर (महिला) (संविदा पर)	₹6000	01		₹8000	33.33 प्रतिशत
3	आदेशपाल (संविदा पर)	₹6000	05		₹8000	33.33 प्रतिशत
4	ऑफिस ब्यॉय (बाह्य स्त्रोत से)	₹6000	03		₹8000	33.33 प्रतिशत
5	जेनरेटर संचालक (वाहय स्त्रोत से)	₹6000	01		₹8000	33.33 प्रतिशत
6	सुरक्षा गार्ड (गृह रक्षक)	₹9000	05	गृह विभाग द्वारा गृहरक्षकों के लिये समय–समय पर निर्धारित दर के अनुसार।		

अर्द्धकुशल कर्मियों के मानदेय में हुये वृद्धि के प्रतिशत (33.33 प्रतिशत) के समरूप ही अन्य संविदा कर्मी, जिनके मानदेय में वर्ष 2014 के पश्चात कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, के मानदेय को निम्न सारणी के अनुसार संशोधित किये जाने का भी अनुमोदन दिया जा सकता है।

क्र. सं.	पद का नाम	वर्ष 2014 में निर्धारित मानदेय	पदों की संख्या	वर्ष 2014 में निर्धारित न्यूनतम दैनिक मानदेय x 33.33 प्रतिशत के अनुरूप वृद्धि	प्रस्तावित मासिक मानदेय (Rounded of to next 100)
1	कार्यालय प्रबंधक (बाह्य स्त्रोत से) (संविदा पर)	₹15000.00	01	15000 X 33.33% = 5000	₹20,000.00
2	टैली ऑपरेटर (संविदा पर)	₹12000.00	01	12000 X 33.33% = 4000	₹16,000.00
3	रिसेप्सनिस्ट (महिला) संविदा पर)	₹8000.00	01	8000 X 33.33% = 2666	₹10,700.00
4	लेखापाल (संविदा पर)	₹30000.00	01	30000 X 33.33% = 10000	₹40,000.00
5	सिनीयर प्रोग्रामर (संविदा पर)	₹45000.00	02	45000 X 33.33% = 15000	₹60,000.00
6	प्रोग्रामर (संविदा पर)	₹25000.00	04	25000 X 33.33 = 8333	₹33,400.00
7	डाटा बेस ऐडमिनिस्ट्रेटर (संविदा पर)	₹30000.00	01	30000 X 33.33% = 10000	₹40,000.00
8	सलाहकार (संविदा पर)	₹30000.00	01	30000 X 33.33% = 10000	₹40,000.00
9	जिज्ञासा हेल्पलाईन एक्जीयूटिव बाहय स्रोत से	₹15500.00	10	15500 X 33.33% = 5166	₹20,700.00
10	सुपरवाईजर बाहय स्रोत से	₹20000.00	02	20000 X 33.33% =6666	₹26,700.00

निर्णय	स्वीकृत

कार्यावली बिन्दु–10 :– बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के अंतर्गत संविदा पर नियोजित कर्मियों को देय अवकाश में संशोधन पर अनुमोदन

बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी द्वारा वर्तमान में संविदा पर नियोजित कर्मियों (यथा– आई.टी. प्रबंधक, आई.टी. सहायक एवं कार्यपालक सहायक इत्यादि) को वर्तमान में सामान्य प्रशासन के संकल्प संख्या–2401, दिनांक–18.07.2007 के आलोक में वर्ष में मात्र 12 दिनों का अवकाश ही मान्य है। यहाँ तक कि बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सासोइटी में कार्यरत महिला संविदा कर्मियों को मातृत्व अवकाश अनुमान्य नही हैं, जो मातृत्व लाभ (संशोधन) अधिनियम–2017 के विरूद्ध है।

सरकार की अन्य कार्यालय (यथा राज्य स्वास्थ्य समिति, जिविका इत्यादि) के संविदा कर्मियो को कई अन्य प्रकार के अवकाश भी मान्य है।

ऐसी स्थिति में बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के सभी संविदा कर्मियों को निम्नवर्णित अवकाश दिये जाने का प्रस्ताव पर शासी पर परिषद् का अनुमोदन प्रार्थित है:–

1) **आकस्मिक अवकाश– अधिकतम 12 दिन (बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाईटी एवं राज्य मुख्यालय स्तर पर कार्यरत पदाधिकारी/कर्मी) एवं अधिकतम 16 दिन (क्षेत्रीय स्तर पर कार्यरत पदाधिकारी/कर्मी) – (सवैतनिक)**
2) **मातृत्व अवकाश– अधिकतम 6 माह (सवैतनिक)**
3) **पितृत्व अवकाश– अधिकतम 15 दिन (सवैतनिक)**
4) **विशेष अवकाश –प्रतिमाह अधिकतम 02 दिन (सवैतनिक) महिला कर्मी**

निर्णय	स्थगित

कार्यावली बिन्दु–11 :– बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी, बिहार, पटना के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यपालक सहायक के संविदात्मक पद पर नियोजन हेतु विज्ञापन प्रकाशन की कारवाई जिला स्तर पर विकेन्द्रित किये जाने का अनुमोदन ।

बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के अंतर्गत स्वीकृत कार्यपालक सहायक के संविदात्मक पद पर अबतक बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के एकीकृत विज्ञापन के आलोक में जिलों द्वारा नियोजन हेतु पैनल निर्माण किया जाता रहा है। जिलाधिकारियों द्वारा बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी की आवश्यकताओं के अतिरिक्त विभिन्न विभागों/कार्यालयों/उपक्रमों की अधियाचना के आलोक में उन्हें भी जिला स्तर पर तैयार पैनल से कार्यपालक सहायक उपलब्ध कराया जाता रहा है।

वर्तमान में प्रवृत इस प्रक्रिया में निम्नवर्णित कठिनाईयाँ परिलक्षित हो रही हैं:–

प्रत्येक जिले के लिये आवेदकों की संख्या में भिन्नता एवं जिले द्वारा अपनाई जा रही चयन प्रक्रिया में भिन्नता, चयन की प्रक्रिया पूरी करने की गति में भिन्नता एवं विभिन्न जिलों द्वारा अलग–अलग आकार के पैनल का निर्माण के फलस्वरूप एक तरफ कुछ जिलों में पैनल की निर्धारित अवधि के पूर्व ही पैनल समाप्त हो जाता है, जबकि अन्य जिलों में तीन साल के पैनल अवधि की

समाप्ति के बाद भी पैनल में अभ्यर्थी शेष रहते हैं। राज्य स्तर पर पैनल समाप्त होने की सूचना प्राप्त होने की प्रक्रिया अनवरत चलती रहती है एवं बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी द्वारा कुछ–कुछ जिलों के लिये बार–बार विज्ञापन निकाला जाना संभव नहीं हो पाता है। ऐसी स्थिति में कई जिलों में कार्यपालक सहायकों के अभाव में कई विभागों से संबंधित कार्य बाधित होने की सूचना प्राप्त होती रहती है।

उपर्युक्त वस्तुस्थिति के आलोक में कार्यपालक सहायकों के नियोजन/पैनल निर्माण से संबंधित वर्तमान प्रक्रिया को संशोधित करते हुए बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के स्थान पर सभी जिलों द्वारा उनकी आवश्यकतानुसार कार्यपालक सहायकों के नियोजन हेतु विज्ञापन प्रकाशित करने का दायित्व भी दिये जाने के प्रस्ताव पर शासी परिषद् का अनुमोदन प्रार्थित है।

इस अनुमोदन के पश्चात भी कार्यपालक सहायकों के सेवा शर्तों में एकरूपता बनाए रखने के उद्देश्य से बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी द्वारा उक्त नियोजन हेतु विज्ञापन का प्रारूप एवं उनके साथ किये जाने वाले एकरारनामा/सेवा शर्तों का निर्धारण कर सभी जिलों को उपलब्ध कराया जायेगा।

निर्णय	**इस शर्त के साथ स्वीकृत कि सूचना प्रावैधिकी विभाग द्वारा सूचना प्रावैधिकी से संबंधित मानव बल ढ़ाँचा तैयार कर लेने के पश्चात मिशन के द्वारा अन्य विभागों/कार्यालयों को सूचना प्रावैधिकी से संबंधित मानव बल उपलब्ध कराये जाने पर पुनर्विचार किया जायेगा।**

<u>कार्यावली बिन्दु–12</u> :– जिलास्तरीय पैनल से अन्य कार्यालयों से नियोजित आई.टी. सहायक/कार्यपालक सहायक जिन्हें संबंधित पैनल अवधि के पश्चात नियोजन मुक्त किया गया हो का एक अलग पैनल सृजित करते हुए भविष्य में प्राप्त होने वाले अधियाचनाओं में आदर्श आरक्षण रोस्टर का पालन करते हुये सर्वप्रथम इस नवसृजित पैनल से नियोजन की कार्रवाई किये जाने का अनुमोदन ।

बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के समक्ष कई ऐसे भी मामले आए हैं, जिनमें कार्यपालक सहायकों को कई वर्षो तक सेवा करने के उपरांत नियोजनमुक्त कर दिया जाता है। इन कार्यपालक सहायकों के नियोजन के समय सृजित पैनल भी इस अवधि तक समाप्त हो चुका होता है। ऐसे मामले वरीय उपसमाहर्त्ता के साथ संबद्ध कार्यपालक सहायकों एवं पूर्व के जन शिकायत कोषांगो के लिये जिलो में नियोजित कार्यपालक सहायकों के संबंध में गत महीनों में दृष्टिगत हुए हैं। ठीक उसी प्रकार बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत नगर निगम से संबंधित सेवा को इस अधिनियम के परिधि से हटाये जाने के पश्चात नियोजनमुक्त आई.टी. सहायकों के संबंध में भी पश्चिम चम्पारण जिले से मार्गदर्शन की अपेक्षा की जा रही है।

उपर्युक्त वस्तुस्थिति के आलोक में प्रस्ताव है कि सभी जिलों द्वारा उनके जिले के नियोजनमुक्त कार्यपालक सहायकों/आई.टी. सहायकों (अनुशासनिक कारणों के आधार पर नियोजनमुक्त कर्मियों को छोड़कर) का उनके नियोजनमुक्ति की तिथि के आवर्ती क्रम में एक पैनल तैयार किया जाए। अर्थात पहले नियोजनमुक्त कर्मियों को बाद में नियोजनमुक्त कर्मियों से वरीयता प्रदान की जाएगी, चाहे वो किसी भी वर्ष अथवा किसी भी पैनल से नियोजित किये गये हों। भविष्य में इन पदों पर नियोजन हेतु उत्पन्न होने वाली रिक्तियों/प्राप्त होने वाली अधियाचनाओं के आलोक में सर्वप्रथम इसी विशेष पैनल से ही नियोजन की कार्रवाई की जाए। परन्तु किसी भी नियोजन के

पूर्व जिलों द्वारा यह स्पष्ट रूप से सुनिश्चित हो लिया जाये कि उक्त नियोजन आदर्श आरक्षण रोस्टर के अनुरूप ही किया जाए।

नियोजनमुक्त कार्यपालक सहायकों/आई.टी.सहायकों (अनुशासनिक कारणों से नियोजनमुक्त कर्मियों को छोड़कर) के अलग पैनल बनाने एवं उसमें से आदर्श आरक्षण रोस्टर के अनुरूप पुनर्नियोजन के उपर्युक्त प्रस्ताव पर शासी परिषद् का अनुमोदन प्रार्थित है।

निर्णय	स्थगित

कार्यावली बिन्दु–13 :– कार्यपालक सहायक के जिलास्तरीय पैनल से अन्य कार्यालयों में नियोजित कार्यपालक सहायकों को नियोजनमुक्त किये जाने के पश्चात पुनर्नियोजित किये जाने के बिन्दु पर शासी परिषद् द्वारा पूर्व में लिये गये निर्णय पर पुनर्विचारण।

बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के विज्ञापन के आलोक में जिलों द्वारा तैयार किये गये कार्यपालक सहायकों के पैनल से अन्य कार्यालयों को भी कार्यपालक सहायकों की सेवा उपलब्ध करायी जाती है जिनका मानदेय भुगतान संबंधित कार्यालय के द्वारा किया जाता है।

कतिपय कार्यालयों द्वारा आवश्यकता समाप्त होने के उपरांत अथवा अन्य कारणों से उपर्युक्त वर्णित कार्यपालक सहायकों को नियोजनमुक्त करते हुये इनकी सेवा वापस कर दी जाती है। इस प्रकार के मामलों में शासी परिषद् के दिनांक–11.03.2015 की बैठक के प्रस्ताव संख्या–17 पर लिया गया निर्णय निम्नवत है:–

"वैसे आई०टी०सहायक/कार्यपालक सहायक, जिन्हें लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम के अतिरिक्त अन्य कार्यों हेतु जिले के पैनल से नियोजित किया जाता है तथा कार्य समाप्त होने के उपरांत इन आई०टी० सहायकों/कार्यपालक सहायकों का नियोजन समाप्त कर दिया जाता है। इन आई०टी० सहायकों/कार्यपालक सहायकों द्वारा पुनर्नियोजन हेतु किये गये अनुरोध पर विभिन्न जिलों से मन्तव्य की मांग की जा रही है।

उक्त के परिप्रेक्ष्य में वैसे आई०टी० सहायक/कार्यपालक सहायक जिनकी सेवा कार्य पूर्ण होने के उपरान्त समाप्त की जाती है, को जिले में रिक्त आई०टी० सहायक/कार्यपालक सहायक के पदों पर नियोजन करने एवं रिक्ति नहीं होने की स्थिति में इन्हें जिला पैनल में वरीयतम स्थान पर रखने के प्रस्ताव पर शासी परिषद् का अनुमोदन प्रार्थित है।"

निर्णय –	अस्वीकृत।

शासी परिषद् के उपर्युक्त निर्णय के आलोक में नियोजन मुक्त किये गये कार्यपालक सहायक के पुनर्नियोजन की प्रक्रिया स्थगित रखे जाने का निदेश सभी जिलों को दिया जा चुका है।

विगत कुछ दिनों से लगातार ऐसे मामले प्रकाश में आ रहे हैं जहाँ जिलास्तरीय पैनल से कार्यपालक सहायक की सेवा प्राप्त किये जाने के अल्प अवधि के उपरांत ही संबंधित कार्यालय द्वारा उनकी सेवा की आवश्यकता समाप्त हो जाने के आधार पर वापस कर दी जाती है। उदाहरण के तौर पर गृह (आरक्षी) विभाग द्वारा CCTNS परियोजना के क्रियान्वयन हेतु सभी जिलों में नियोजित कार्यपालक सहायकों को नियोजन के तीन से छः माह की अवधि के उपरांत ही नियोजनमुक्त कर दिया गया। इन नियोजन मुक्त कार्यपालक सहायकों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में रिट वाद दायर किया जाता है अथवा माननीय मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव एवं अन्य कई स्तरों पर अभ्यावेदन/परिवाद समर्पित किये जा रहे हैं।

उपर्युक्त स्थिति के आलोक में प्रस्ताव है कि बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के निर्देश के आलोक में जिलो में तैयार किये गये आई.टी. सहायक/कार्यपालक सहायक के पैनल से अन्य विभागों/कार्यालय में आई.टी. सहायक/कार्यपालक सहायक उपलब्ध कराये जाने के पूर्व जिलाधिकारी द्वारा अधियाची कार्यालयों में इनके लिये पद सृजित होने एवं मानदेय भुगतान हेतु राशि उपलब्ध होने की स्पष्ट पुष्टि प्राप्त कर ली जाए। उक्त प्रस्ताव पर शासी परिषद् का अनुमोदन प्रार्थित है।

साथ ही जिलों द्वारा तैयार किये पैनल से नियोजनमुक्त किये गये सभी आई. टी. सहायकों/कार्यपालक सहायकों के संबंध में यह प्रस्ताव है कि नियोजनमुक्त आई.टी. सहायकों/ कार्यपालक सहायकों (अनुशासनिक कारणों के आधार पर नियोजनमुक्ति के मामलो को छोड़कर) को उपर्युक्त कार्यावली बिंदु–12 में वर्णित विशेष पैनल के प्रावधान के आलोक में पुनर्नियोजित किये जाने के बिंदु पर भी शासी परिषद् का अनुमोदन प्रार्थित है।

निर्णय	स्थगित

<u>कार्यावली बिन्दु–14 :–</u> बिहार राज्य में मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (HRMS) को विकसित करने के दायित्व का कार्यान्वयन बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी द्वारा किये जाने का अनुमोदन।

बिहार राज्य में मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली को विकसित करने के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के संकल्प संख्या–16136, दिनांक–19.12.2017 द्वारा इस प्रणाली के कार्यान्वयन हेतु सांस्थिक ढांचा निर्धारित करते हुए सामान्य प्रशासन विभाग को नोडल विभाग निर्धारित किया गया है। इसी संकल्प में यह भी वर्णित है कि सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के माध्यम से इस प्रणाली को कार्यान्वित करायेगा।

उक्त संकल्प में बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी हेतु राज्य के मंत्रिपरिषद् द्वारा निर्धारित दायित्व का निर्वहन बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाईटी द्वारा किये जाने के बिन्दु पर शासी परिषद् की का अनुमोदन प्रार्थित है।

निर्णय	स्वीकृत

<u>कार्यावली बिन्दु–15 :–</u> बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी द्वारा भा.प्र.से. एवं बि. प्र.से. के विभिन्न स्तरों के पदाधिकारियों द्वारा क्रय किये गये मोबाईल/लैपटॉप के राशि की प्रतिपूर्ति के पूर्व इलेक्ट्रॉनिक उपकरण की आयु एवं Depreciation Cost की गणना हेतु वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत अद्यतन निदेश को ग्रहण किये जाने का अनुमोदन।

बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी द्वारा भा.प्र.से. एवं बि.प्र.से. के विभिन्न स्तरों के पदाधिकारियों को मोबाईल सेट क्रय करने हेतु राशि प्रदान एवं क्रय किये गये लैपटॉप आदि की अनुमान्य राशि की प्रतिपूर्ति किया गया है। विभिन्न स्तर के पदाधिकारियों द्वारा पुराना इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (यथा–मोबाईल सेट/लैपटॉप) खराब होने के संबंध में सूचित करते हुए नया मोबाईल सेट/लैपटॉप की मांग किये जाने के आलोक में मिशन सोसाइटी के शासी परिषद् के दिनांक–11. 03.2015 के प्रस्ताव संख्या–11,12 एवं 13 में निर्णय लिया गया था कि वित्त विभाग के संकल्प पत्र

संख्या–3 / एफ–01–39 / 2017 / 2080 / वि0, दिनांक–02.03.2015 का अनुपालन करते हुये कार्रवाई की जाए।

वित्त विभाग का वर्णित पत्र इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के जीवन काल एवं Depreciation Cost के निर्धारण से संबंधित है।

वित्त विभाग द्वारा दिनांक–31.03.2017 को इसी विषय पर संकल्प पत्र संख्या–03 / एफ.–01–39 / 2014–2080 / वि. दिनांक–31.03.2017 निर्गत करते हुए पूर्व के संकल्प संख्या–2080 दिनांक–02.03.2015 में आंशिक संशोधन किया गया है।

अतः मिशन सोसाइटी के शासी परिषद् के दिनांक–11.03.2015 की बैठक में सभी निर्णयों में वित्त विभाग के उक्त पत्र संख्या–2080, दिनांक–02.03.2015 के स्थान पर वित्त विभाग के पत्र संख्या–2480 दिनांक–31.03.2017 के आलोक में मिशन कार्यालय द्वारा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण की आयु एवं Depreciation Cost की गणना किये जाने के अनुरूप कार्रवाई किये जाने के संबंध में शासी परिषद् का अनुमोदन प्रार्थित है। साथ ही भविष्य में संबंधित विषय पर वित्त विभाग द्वारा निर्गत होने वाले संकल्प बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी द्वारा स्वतः ग्रहण किये जाने के बिंदु पर भी शासी परिषद् का अनुमोदन प्रार्थित है।

निर्णय	स्वीकृत

<u>कार्यावली बिन्दु–16</u> :– बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी अंतर्गत गठित सी.यू. जी. नेटवर्क से आच्छादित पदाधिकारियों द्वारा मोबाईल सेट क्रय हेतु पूर्व में निर्धारित अधिकतम व्यय सीमा ₹15000.00 (पंद्रह हजार) एवं ₹5000.00 (पॉच हजार) को बढ़ाकर क्रमशः ₹35000.00 (पैंतीस हजार) एवं ₹15000.00 (पंद्रह हजार) किये जाने के बिंदु पर शासी परिषद् का अनुमोदन ।

राज्य सरकार के योजनाओं की मॉनीटरिंग करने, पदाधिकारियों द्वारा आपस में सूचनाओं का आदान–प्रदान करने, एस.एम.एस. बेस्ड मॉनीटरिंग सिस्टम विकसित करने तथा इंटरनेट ब्राउजिंग सुलभ बनाने के उद्देश्य से बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी अंतर्गत विभिन्न स्तर के पदाधिकारियों के लिये सी.यू.जी. नेटवर्क की स्थापना की गई है।

पूर्व में CUG मोबाईल सेट क्रय हेतु व्यय सीमा निर्धारित करते समय ईंटरनेट के उपयोग हेतु 2G/3G की सेवा उपलब्ध थी। इसलिए बाजार में 2G/3G Support वाले मोबाईल सेट उपलब्ध थे। वर्तमान में सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हुए विकास के कारण High Speed ईंटरनेट उपयोग हेतु 4G सेवा उपलब्ध है। पुराने 2G/3G Support वाले मोबाईल सेट से 4G Support वाले High Speed ईंटरनेट सेवा का लाभ प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इसके लिये 4G Support वाले मोबाईल सेट की आवश्यकता होगी।

बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी अंतर्गत गठित सी.यू.जी. नेटवर्क से आच्छादित पदाधिकारियों द्वारा मोबाईल सेट क्रय हेतु मिशन सोसाइटी के पत्रांक–13188, दिनांक–08.12.2009 द्वारा पूर्व में निर्धारित अधिकतम व्यय सीमा ₹15000.00 (पंद्रह हजार) एवं ₹5000.00 (पॉच हजार) को बढ़ाकर क्रमशः ₹35000.00 (पैंतीस हजार) एवं ₹15000.00 (पंद्रह हजार) किये जाने के बिंदु पर शासी परिषद् का अनुमोदन प्रार्थित है।

निर्णय	स्वीकृत

<u>कार्यावली बिन्दु–17:–</u> बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के प्रोक्योरमेंट मैनुअल में वर्णित प्रोक्योंमेंट प्रक्रिया एवं सक्षम प्रोक्योरमेंट समिति की अधिसीमाओं को बिहार वित्तीय नियमावली में समय–समय पर होने वाले अद्यतन संशोधनों के अनुरूप स्वतः संशोधित किये जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन।

बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के गठन के समय ही मिशन के सुचारू क्रियान्वयन में सहायोग हेतु बनाये गये प्रोक्योरमेंट मैनुअल में विभिन्न राशि के प्रोक्योंमेंट हेतु अपनाई जाने वाली प्रक्रिया की अधिसीमा एवं निर्धारित सक्षम प्रोक्योरमेंट समिति की अधिसीमा निर्धारित की गयी थी।

वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या–9331, दिनांक–07.12.2016 द्वारा बिहार वित्त नियमावली, 1950 के नियम 131(ग) एवं 131(घ) में संशोधन करते हुए बिहार वित्तीय नियमावली में विभिन्न राशि के क्रय हेतु अपनाई जाने वाली प्रक्रिया एवं सक्षम क्रय समिति की अधिसीमाओं में वृद्धि की गयी है।

उपर्युक्त वस्तुस्थिति के आलोक में बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के प्रोक्योरमेंट मैनुअल में वर्णित प्रोक्योंमेंट प्रक्रिया एवं सक्षम प्रोक्योरमेंट समिति की अधिसीमाओं को बिहार वित्तीय नियमावली के अनुरूप संशोधित किये जाने एवं भविष्य में भी बिहार वित्तीय नियमावली में होने वाले उक्त विषयक अन्य संशोधनों को स्वतः ही बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी द्वारा मिशन निदेशक का अनुमोदन प्राप्त कर स्वीकार किये जाने के बिंदु पर शासी परिषद् का अनुमोदन प्रार्थित है।

निर्णय	स्वीकृत

<u>कार्यावली बिन्दु–18 :–</u> बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम एव बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम से संबंधित सभी क्षेत्रीय काउंटरों/कार्यालय पर अबाध विद्युत आपूर्ति हेतु मासिक भाड़े पर जेनरेटर के बदले सक्षम क्षमता वाले बैट्री एवं इन्वर्टर का क्रय करने एवं उसपर होने वाले व्यय पर शासी परिषद् का अनुमोदन।

बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के द्वारा क्रियान्वित बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम एव बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम से संबंधित सभी 673 क्षेत्रीय काउंटर/कार्यालय यथा–534 प्रखण्ड–सह–अंचल RTPS काउंटर, 101 अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण कार्यालय एवं 38 जिला स्तरीय लोक शिकायत निवारण कार्यालय में अबाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मासिक भाड़े पर जेनरेटर रखा जाता है एवं उस पर व्यय के लिये विभिन्न जिलों से प्राप्त अधिचानाओं के आलोक में संबंधित व्यय का वहन बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी द्वारा किया जा रहा है। यह व्यय औसतन रूपये 20 हजार से 25 हजार प्रतिमाह प्रति काउंटर हो रहा है। उदाहरण के तौर पर वित्तीय वर्ष 2017–18 के प्रथम छः माह में उक्त मद में विभिन्न अधियाचनाओं के आलोक में कुल ₹6,47,94,072.00 (छः करोड़ सैतालीस लाख चौरानवे हजार बहत्तर) की राशि जिलों को उपलब्ध करायी गयी थी।

राज्य भर में विद्युत की स्थिति में हुए व्यापक सुधार के आलोक में यह प्रस्ताव है कि उपर्युक्त वर्णित **सभी कार्यालयों के लिये जिलों द्वारा सक्षम क्षमता वाला बैट्री एवं इन्वर्टर क्रय कर अबाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराया जाए। इस कार्य हेतु सभी जिलों को प्रति कार्यालय रूपये 1,00,000.00 (एक लाख) की अधिसीमा के अंतर्गत बैट्री एवं इन्वर्टर के**

क्रय की अनुमति एवं उक्त पर होने वाले संभावित व्यय रूपये 6,73,00,000.00 (छः करोड़ तिहत्तर लाख) के बिंदु पर शासी परिषद् का अनुमोदन प्रार्थित है।

निर्णय	स्वीकृत

<u>कार्यावली बिन्दु–19 :–</u> बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम एवं बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम पर शोध को प्रेरित करने के लिये Reputed Research Journals में सफल प्रकाशन पर शोधकर्त्ताओं को प्रोत्साहन राशि दिये जाने पर शासी परिषद् का अनुमोदन।

बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के द्वारा क्रियान्वित किया जाने वाले बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम एक अत्यंत ही जनोपयागी कार्यक्रम सिद्ध हो रहा है, जिससे राज्य भर में लाखों लोगों की समस्याओं का सुचारू एवं सहज रूप से निवारण हो रहा है। साथ ही मिशन सोसाइटी द्वारा संचालित बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम के माध्यम से पिछले लगभग छः वर्ष में 18 करोड़ से अधिक लोगों को पारदर्शी एवं सुगम तरीके से विभिन्न सरकारी सेवाएं सहज उपलब्ध करायी जा रही है।

इन दोनों अधिनियम के व्यापक प्रचार प्रसार हेतु बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के द्वारा किये जा रहे हैं कार्यों के अतिरिक्त यह श्रेयष्कर होता की उत्कृष्ट शैक्षणिक संस्थानों के शोधकर्त्ताओं को इस अधिनियम पर शोध के लिये प्रेरित किया जा सके। ऐसा करने से शोधकर्त्ताओं से प्राप्त सुझावों से इस अधिनियम को और अधिक जनोपयोगि बनाने की दिशा में कार्रवाई भी संभव हो सकती है।

इस उद्देश्य से शोधकर्त्ताओं के शोध लेख (Research Paper) के अच्छे Reputed Research Journals में प्रकाशन पर इन्हें बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी द्वारा एक प्रोत्साहन राशि दिये जाने के प्रस्ताव पर शासी परिषद् का अनुमोदन प्रार्थित है।

इन शोधलेखों के प्रकाशन पर Research Journals के गुणवत्ता एवं Reputation के अनुसार शोधकर्त्ताओं को देय प्रात्साहन राशि के बिंदु पर case to case basis निर्णय लेने के लिये मिशन निदेशक को प्राधिकृत करने पर भी शासी परिषद् का अनुमोदन प्रार्थित है।

निर्णय	स्वीकृत

बैठक की कार्यवाही सधन्यवाद समाप्त की गयी।

ह०/–
(पूनम झा)
संयुक्त निदेशक
योजना एवं विकास विभाग

ह०/–
(मनोज कुमार)
संयुक्त सचिव
विधि विभाग

ह०/–
(डॉ० प्रतिमा)
अपर मिशन निदेशक, बिहार
बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन

ह०/–
(राहुल सिंह)
सचिव, सूचना प्रावैधिकी विभाग
–सह–प्रबंध निदेशक, बेल्ट्रॉन

ह०/–
(सुजाता चतुर्वेदी)
प्रधान सचिव, वित्त विभाग

ह०/–
(आमिर सुबहानी)
मिशन निदेशक–सह–प्रधान
सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग

ह०/–
(शशि शेखर शर्मा)
महानिदेशक, बिपार्ड

ह०/–
(शिशिर सिन्हा)
विकास आयुक्त, बिहार

ह०/–
(अंजनी कुमार सिंह)
मुख्य सचिव, बिहार

बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी
(सामान्य प्रशासन विभाग)

ज्ञापांकः– बि.प्र.सु.मि.सो./योजना–02/2012, (खण्ड) 556, दिनांक– 19/04/2018

प्रतिलिपिः– विकास आयुक्त, बिहार, पटना/महानिदेशक, बिपार्ड, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/सचिव, सूचना एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बेल्ट्रॉन, बिहार, पटना/सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/सचिव, विधि विभाग, बिहार, पटना/अपर मिशन निदेशक, बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी, बिहार, पटना/ मुख्य सचिव, बिहार के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना को कार्यवाही की छायाप्रति आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

19/4/18
(डॉ० प्रतिमा)
अपर मिशन निदेशक

ज्ञापांकः– बि.प्र.सु.मि.सो./योजना–02/2012, (खण्ड) 556, दिनांक– 19/04/2018

प्रतिलिपिः– प्रशासनिक पदाधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/विशेष कार्य पदाधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/प्रोक्योरमेंट पदाधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को कार्यवाही की छायाप्रति आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

19/4/18
(डॉ० प्रतिमा)
अपर मिशन निदेशक